राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur - 302001

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

क्रमांक: आर.एन.सी./2022/ 653 दिनांक: 02/05/2022

समस्त प्रधानाचार्य,
जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल
राजस्थान।

विषय:- राजकीय कोटे की रिक्त रही सीटों पर निजी फेडेरेशन के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेशित जी.एन.एम. प्रथम वर्ष(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) के छात्रों की परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म ऑनलाइन भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि **राजकीय कोटे की रिक्त रही सीटों पर निजी फेडेरेशन के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेशित** जी.एन.एम. प्रथम वर्ष(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) की परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त परीक्षा में बैठने की योग्यता रखने वाले प्रशिक्षणार्थिओ के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर भरे जाने हैं जिसकी सूचना कार्यालय की वैबसाइट पर प्रकाशित की गई है। उक्त परीक्षा के संबंध में संस्थाओ द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना है:

1. परीक्षा फार्म संस्थाओं द्वारा पोर्टल पर दिनांक 02.05.2022 से 07.05.2022 मध्यरात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकते हैं।
2. उक्त परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने से पूर्व सुनिश्चित कर लें, कि **राजकीय कोटे की रिक्त रही सीटों पर निजी फेडेरेशन के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेशित जी.एन.एम. प्रथम वर्ष(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) मुख्य परीक्षा के योग्य प्रशिक्षणार्थिओ के ही परीक्षा फॉर्म भरे जावे।**
3. प्रशिक्षण संस्था द्वारा पोर्टल पर Apply Exam Option पर क्लिक करके **योग्य प्रशिक्षणार्थिओ के परीक्षा आवेदन किया जाना है।**
4. संस्था परीक्षा फार्म भरने से पहले यह सुनिश्चित करें कि:
   - प्रशिक्षणार्थी ने जी.एन.एम प्रथम वर्ष की आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित सिलैबस अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।
   - किसी भी प्रशिक्षणार्थी का पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण अध्याधीन है तो उक्त प्रकरण में अंतिम निर्णय की प्रति राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को भिजवाकर सूचित करते हुये कार्यवाही करें।
   - यदि किसी संस्था को किसी सत्र में राज्य सरकार द्वारा आयोजित छात्र आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है, तो उक्त संस्था उस सत्र के किसी भी प्रशिक्षणार्थी का आवदेन नहीं करें। यदि सस्थान द्वारा आवेदन किया गया तो उक्त संस्था पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
5. प्रशिक्षणार्थी के परीक्षा फार्म में संस्थान द्वारा Attendance एवं विषय अंकित किया जाने के पश्चात ही निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाए।
6. **जिन प्रशिक्षणार्थियों के माह अप्रैल 2022 में परीक्षा आवेदन मय शुल्क जमा कर दिये गए है एवं उनके प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं उन्हे पुनः आवेदन नहीं करना है। माह अप्रैल 2022 में ऑनलाइन आवेदन मय शुल्क की सत्यापित प्रति क्रम संख्या 7 के अनुसार कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**
7. **परीक्षा फॉर्म मय शुल्क जमा होने के पश्चात भरे हुए फार्म का प्रिंट लेकर प्रधानाचार्य द्वारा सत्यपित कर निम्न दस्तावेज़ संलग्न कर कार्यालय को दिनांक 10.05.2022 सायं 5:00 बजे तक जमा किया जाना सुनिश्चित करें:**
   - 10 की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति
   - 12 की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति
   - जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, यदि लागू हो।
   - राज्य सरकार/प्राइवेट फेडेरेशन द्वारा जारी छात्र आवंटन पत्र।
   - सभी प्रशिक्षणार्थीयों के प्रवेश तिथि एवं Attendance की सूची।
8. संस्था द्वारा अगर किसी भी अयोग्य प्रशिक्षणार्थी का परीक्षा आवेदन भरा जाता है तो संबन्धित प्रशिक्षणार्थी का परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं परीक्षा शुल्क राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के राजपत्र अनुसार नहीं लौटाई जाएगी। एवं संस्था के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परीक्षा फॉर्म उपरोक्त समस्त दस्तावेज़ संलग्न कर निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक काउंसिल कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त परीक्षा आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिसकी समस्त ज़िम्मेदारी संस्था प्रधान कि होगी।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

(डॉ शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग काउंसिल
जयपुर